



प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/

प्रमुख सचिव/सचिव,

उ0प्र0 शासन।

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2022

विषय: मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित शासकीयवादों के त्वरित निस्तारण हेतु समयान्तर्गत प्रभावी पैरवी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा मा0 न्यायालयों में लम्बितवादों को कम करने तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य मुकदमा नीति लागू की गयी है और प्रभावी अनुश्रवण/पैरवी के लिए समय-समय पर विभिन्न शासनादेश भी निर्गत किये गये हैं। इसके बावजूद विभागों द्वारा सतत पैरवी/अनुश्रवण न किये जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में काफी संख्या में मामले लम्बित हैं और उत्तरोत्तर उनमें वृद्धि होती जा रही है। यह स्थिति शासकीय व्यवस्था के लिये उपयुक्त नहीं है।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या- 300/2022 राकेश देवी उर्फ राकेश कुमारी बनाम सतीश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में मा0 न्यायालय द्वारा मौजूदा व्यवस्था पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने आदेश दिनांक 18.05.2022 के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:

- (क) राज्य सरकार से सम्बन्धितवादों के सम्बन्ध में समग्र कार्य योजना (Comprehensive Plan) विकसित की जाए।
- (ख) किसी वाद में मा0 न्यायालय के आदेश/निर्देश की सूचना प्राप्त होते ही राज्य द्वारा उच्चतर स्तर पर प्रतिवाद किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय लिये जाने हेतु एक सुव्यवस्थित तंत्र (Mechanism) बनाया जाए।
- (ग) मा0 न्यायालय के निर्देशों के 24 घंटे के भीतर ही मा0 उच्च न्यायालय में तैनात राज्य विधि अधिकारियों तथा विधि परामर्शी कार्यालय एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के मध्य ई-मेल से उक्त विषयक सूचना का आदान-प्रदान किया जाए।
- (घ) विभाग द्वारा विधि परामर्शी से न्यूनतम समय में अभिमत/परामर्श प्राप्त करने तथा विधि परामर्शी द्वारा ई-मेल के माध्यम से तीन दिन में अभिमत/परामर्श दिये जाने के समस्त प्रयास किये जायें।

3. इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24-05-2022 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग व न्याय विभाग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उक्त के क्रम में पुनः दिनांक 04-06-2022 को शासन के समस्त विभागों के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर मौजूदा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा बैठक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त वर्णित निर्देशों के क्रम में मौजूदा कार्यप्रणाली के सुदृढीकरण हेतु विस्तृत चर्चा करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हुए पूर्व में निर्गत विभिन्न तदविषयक शासनादेशों की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण इन्हें अवक्रमित कर नवीन शासनादेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

4. तत्क्रम में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण करने हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-1142/सात-न्याय-1-11-75/2010, दिनांक 24.03. 2011, शासनादेश संख्या-36/ सा0-574/सात-न्याय-1-15-06/2015, दिनांक 01. 05.2015, संख्या-सा0-1422/सात-न्याय-1-15-75/2010, दिनांक 21.12.2015, शासनादेश संख्या-1325/ सात-न्याय-1-16-75/2010, दिनांक 27.09.2016 तथा संख्या-04/2022/130/सात-न्याय-अनु0प्रको0/ 2022, दिनांक 22.04.2022 एवं तदविषयक अन्य शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :

- (1) मा0 न्यायालय में शासन/राज्य सरकार के विरुद्ध वादों के प्रभावी पैरवी करने/त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक विभाग अनिवार्यतः अपने स्तर से विभागीय नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो। नोडल अधिकारियों के पदधारण में निरन्तरता हो तथा इस पद को धारण करने वाले अधिकारियों में बार-बार परिवर्तन न किया जाये। विभाग द्वारा नामित किये गये नोडल अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह विभाग से सम्बन्धित रिट याचिकाओं व अन्य विधिक कार्यवाहियों के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल सम्बन्धित राज्य विधि अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराने व अन्य यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, ताकि मा0 न्यायालय में समय से शासन का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जा सके। नोडल अधिकारी मुकदमों के सक्रिय प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होंगे। नोडल अधिकारी द्वारा वादों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस दृष्टि से वादों का परीक्षण करना होगा कि राज्य मुकदमा नीति का अनुपालन हो रहा है और कहीं वाद दिशा विहीन तो नहीं हो गया है।
- (2) विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अपने वेबसाइट पर नामित नोडल अधिकारी के टेलीफोन नं0/ई-मेल आईडी0 की जानकारी को 05 कार्य दिवस में अद्यतन करेंगे। मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ सम्बन्धित विभाग के पोर्टल पर जाकर नोडल अधिकारी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) सामान्यतः विभागों द्वारा लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण न होने का मुख्य कारण यह बताया गया है कि राज्य विधि अधिकारी के स्तर से वादों से संबंधित जो भी नोटिस/पत्र निर्गत किये जाते हैं उसमें स्पष्टता का अभाव रहता है, उदाहरण स्वरूप वाद की विषयवस्तु, संबंधित जनपद, आवश्यक एवं औपचारिक पक्षकार, याची द्वारा चाहा गया अनुतोष तथा मा0 न्यायालय के आदेश का प्रभावी अंश समय से उपलब्ध नहीं होता है। यह कदापि उचित नहीं है। अतएव राज्य विधि अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि याची द्वारा दी गयी नोटिस/रिट याचिका की, प्रति ई-मेल व स्पीड पोस्ट के माध्यम से, संबंधित विभाग को प्राथमिकता के आधार पर, नोटिस प्राप्ति अथवा रिट याचिका के दाखिल होने, के तीन कार्य दिवस के भीतर (यदि मा0 न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश जल्दी करने का न हो तो), उपलब्ध कराते हुये वाद की विषयवस्तु संबंधित जनपद का नाम, औपचारिक व आवश्यक पक्षकार, याची द्वारा चाहा गया अनुतोष तथा मा0 न्यायालय के आदेश का प्रभावी अंश भी अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) राज्य विधि अधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागों को जो भी नोटिस/रिट याचिका अथवा वादों से सम्बंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो सम्बंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा स्वयं तथा उसके साथ-साथ उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी द्वारा तत्काल संबंधित राज्य विधि अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 न्यायालय में प्रति शपथ पत्र अधिकतम 10 कार्य दिवस के भीतर दाखिल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त होने वाली रिट याचिकाओं पर समयान्तर्गत प्रस्तरवार आख्या/अभिकथन तैयार कराकर त्वरित गति से कार्यवाही हेतु ई-मेल के माध्यम से मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए ताकि संबंधित वाद में नामित राज्य विधि अधिकारी द्वारा तत्काल प्रतिशपथ पत्र तैयार कर संबंधित अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ से जो भी पत्राचार किया जाय, उसमें अपने अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव व नोडल अधिकारी यथा स्थिति के अनुसार ई-मेल आईडी तथा सम्पर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाये। विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा स्वयं नैरेटिव का गहन अध्ययन किया जायेगा तथा तथ्यात्मक समाधान कर स्वयं संतुष्ट होने की दशा में ही अनुमोदन प्रदान करते हुये मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही की जाये।
- (5) प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा जो निर्देश/ प्रस्तरवार आख्या राज्य विधि अधिकारियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं वह आधे-अधूरे रहते हैं, जिसके कारण प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने में कठिनाईयां होती है, फलस्वरूप प्रतिशपथ पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः आवश्यक निर्देश/ प्रस्तरवार आख्या राज्य विधि अधिकारियों को प्रेषित किये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि वह पूर्णतया स्पष्ट हो जिससे प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने में कठिनाई न हो तथा प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल किया जा सके।
- (6) शासन द्वारा समयान्तर्गत शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के स्पष्ट निर्देश के उपरान्त भी प्रायः यह देखने में आता है कि मा0 न्यायालय में जिस दिन मामले की सुनवाई होती है, अधिकांशतः एक दिन पूर्व प्रतिशपथ पत्र तैयार कराये जाने की प्रक्रिया अपनायी जाती है, जो अत्यन्त खेदजनक है। इसके अतिरिक्त मामलों में भिन्न अधिकारी द्वारा संबंधित मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को ब्रीफ न किये जाने एवं सहयोग न किये जाने के फलस्वरूप मा0 न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत न हो पाने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किये जाने का अवसर उत्पन्न होता है। वादों में प्रतिशपथ-पत्र तैयार किये जाने हेतु राज्य विधि अधिकारी से पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा जिन भिन्न अधिकारियों को प्रतिशपथ-पत्र तैयार कराने/दाखिल कराने के सम्बंध में नामित/निर्देशित किया जाता है केवल वही अधिकारी सुसंगत अभिलेखों के साथ राज्य विधि अधिकारी से संपर्क स्थापित करें तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
- (7) राज्य विधि अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह नैरेटिव प्राप्त होने के 10 दिवस के अन्दर (यदि मा0 न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो तो) प्रतिशपथ पत्र तैयार करायें जिससे कि ससमय सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर मा0 न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराया जा सके। निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ पत्र तैयार न होने पर संबंधित राज्य विधि अधिकारी के नियंत्रक राज्य विधि अधिकारी यथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता के संज्ञान में उक्त तथ्य अवश्य लाया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (8) मुख्य स्थायी अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि प्रयास यही किया जाये कि उसी राज्य विधि अधिकारी द्वारा मा0 न्यायालय में वादों की पैरवी/बहस की जाये जिसके द्वारा प्रतिशपथ पत्र तैयार किया गया हो ताकि मा0 न्यायालय के समक्ष विभाग/शासन की सही स्थिति स्पष्ट की जा सके।
- (9) यदि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में राज्य के प्रतिकूल कोई आदेश पारित किया जाता है तो उक्त की सूचना के साथ ही राज्य विधि अधिकारी उक्त आदेश की प्रति प्रस्तावित अग्रेतर कार्यवाही के संदर्भ में अपना अभिमत भी अनिवार्य रूप से तत्काल उपलब्ध कराये। यदि शिथिल पैरवी के कारण प्रतिकूल आदेश पारित हुआ है तो दायित्वाधीन कर्मों का भी उल्लेख किया जाये।
- (10) यदि मा0 न्यायालयों द्वारा विभिन्न वादों में पारित किये जाने वाले अन्तरिम/स्थगन आदेश/वादकालीन आदेश (**Interlocutory order**) शासन की नीतियों/नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार हैं, तो मा0 न्यायालय के ऐसे आदेशों का अनुपालन आदेश प्राप्ति के **10 कार्य दिवस** के भीतर सुनिश्चित किया जाये और यदि मा0 न्यायालय के आदेश शासन की नीतियों/नियमों एवं शासनादेश के प्रतिकूल है अथवा कोई विधिक कठिनाई आ रही है तो ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आदेश की सूचना के **10 कार्य दिवस** के भीतर रिट याचिका/रिकाल प्रार्थना पत्र/पुनर्विचार प्रार्थना पत्र, विशेष अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कर अन्तरिम आदेश/स्थगन आदेश प्राप्त करने की प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये, ताकि किसी भी दशा में अवमानना (**Contempt**) की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। राज्य मुकदमा नीति में दी गयी व्यवस्था के तहत कार्यवाही करते हुए सेवा सम्बन्धी तुच्छ मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कर्मचारी के लिये अनुकम्पापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- (11) विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित की जाने वाली अवमानना याचिकाओं में याची द्वारा शासन व विभाग से संबंधित अधिकारियों को नाम से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। योजित अवमाननावाद में पक्षकार बनाये गये संबंधित अधिकारी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिस आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु अवमाननावाद योजित किया गया है, के अनुपालन की स्थिति अथवा अनुपालन न किये जाने की स्थिति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत रूप से मा0 न्यायालय में, अवमाननावाद के दाखिल होने की सूचना के **10 कार्य दिवस** के भीतर (यदि मा0 न्यायालय का कोई अन्यथा आदेश न हो तो) प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये।
- (12) राज्य विधि अधिकारियों द्वारा मा0 न्यायालयों में वादों की प्रभावी पैरवी की मॉनिटरिंग हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक विधिक प्रकरण में अपना फीड बैक, न्याय विभाग द्वारा तैयार कराये गये निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) पर अवश्य दिया जाए।
- (13) न्याय विभाग द्वारा समस्त राज्य विधि अधिकारी के नाम/मोबाइल नं0 एवं ई-मेल आईडी0 आदि से संबंधित निर्देशिका (डायरेक्ट्री) तैयार कराकर अपने वेबसाइट पर अपलोड करायी जायेगी, जिसे समय-समय पर अद्यतन रखा जायेगा।
- (14) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में राज्य सरकार की ओर से समयान्तर्गत मामले की प्रभावी पैरवी/प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष वादों की नियमित मॉनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा इस हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्यवस्थित रूप से रजिस्टर बनाये जाये। अवमाननावादों में विभाग/शासन की छवि धूमिल न हो इस हेतु पर्सनल मानिट्रिंग सिस्टम बनाया जाये ताकि महत्वपूर्ण मामलों का निरन्तर अनुश्रवण होता रहे। मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य मुकदमा नीति में विहित व्यवस्थानुसार, नियमों/शासनादेशों/नीतियों के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रत्यावेदनों का स्पीकिंग आर्डर के साथ यथाशीघ्र निस्तारण किया जाये और यदि न्यायहित में मा0 न्यायालय के आदेश के विरुद्ध चुनौती दी जानी हो, तो अविलम्ब उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाये ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

- (15) विभाग द्वारा परामर्श से संबंधित पत्रावलियां ई-आफिस के माध्यम परामर्शी विभागों को प्रेषित की जायेगी। परामर्शी विभाग उनको संदर्भित प्रकरण में यथासंभव तीन दिवस के अन्दर अपना परामर्श प्रदान करते हुए पत्रावली प्रशासकीय विभाग को वापस करेंगे।
- (16) प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अन्तर्विभागीय प्रणाली (Interdepartmental Mechanism) की उपलब्धता के बावजूद संयुक्त बैठक के समय किसी बिन्दु पर आम सहमति बनने पर भी कालान्तर में प्रतिभागी विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं के संदर्भ में पृच्छा की जाती है जिससे उक्त व्यवस्था का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। अतः संयुक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात् उक्त निर्णय के संदर्भ में कालान्तर में यथा सम्भव कोई आपत्तियां/पृच्छा न की जाये तथा संयुक्त बैठक के समय समस्त पृच्छा/आपत्तिजनक बिन्दुओं के निराकरण के पश्चात् ही निर्णय लिया जाये।
- (17) वादकारिता विषयक मामलों में सम्बन्धित विभाग अपेक्षित आदेश को चुनौती दिये जाने के सबल व सुदृढ आधारों के साथ सुस्थिर विभागीय मत सहित पत्रावली न्याय विभाग को सन्दर्भित की जाये तो प्रशासकीय विभाग द्वारा इस तथ्य का समाधान अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि सुसंगत प्रस्ताव राज्य मुकदमा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय टिप्पणी में भी इस तथ्य का अवश्य स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए कि प्रशासकीय विभाग द्वारा राज्य मुकदमा नीति का अध्ययन करने के उपरान्त उक्त विभागीय प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- (18) मा0 न्यायालय से सम्बन्धित विभिन्न आदेशों को चुनौती दिये जाने के सम्बंध में मत स्थिर किये जाते समय इस तथ्य का अवश्य समाधान कर लिया जाये कि आक्षेपित आदेश राज्य के किसी प्रचलित नीति को प्रभावित तो नहीं कर रहा है अथवा आदेश के अनुपालन की दशा में उसके दूरस्थ प्रभाव व परिणाम तो नहीं होंगे, जिससे अन्य विभाग भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। सामान्यतः ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित विभागों के साथ उच्च स्तर पर बैठक आयोजित कर निर्णय कराकर समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उक्त बैठकों में वित्त, न्याय एवं कार्मिक विभाग के प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता अनिवार्य रूप से किया जाये।
- (19) न्याय विभाग को पत्रावली संदर्भित किये जाते समय विभागीय टिप्पणी में अक्षेपित आदेश को चुनौती दिये जाने के स्पष्ट आधारों का समावेश अनिवार्य रूप से किया जा सके।
- (20) यदि मा0 न्यायालय के किसी आदेश को उच्चतर फोरम में चुनौती दिये जाने का मत स्थिर किया जाता है तो ऐसी दशा में राज्य विधि अधिकारी के परामर्श के साथ चुनौती दिये जाने के आधारों का अवश्य उल्लेख किया जाये।
- (21) यदि मा0 न्यायालय के किन्हीं आदेशों का पुनर्विलोकन प्रस्तावित किया जाता है तो पुनर्विलोकन हेतु अनुमन्य आधार यथा अभिलेख पर स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाली त्रुटि अथवा आदेश होने के उपरान्त उत्पन्न नवीन तथ्यों के सम्बंध में टिप्पणी में अवश्य उल्लेख किया जाये। इसके अतिरिक्त वाद दाखिल करने के पश्चात् कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक प्रगति हुई हो, जो कि मा0 न्यायालय के निर्णय को सारवान रूप से प्रभावित कर सकता है तो उसे टिप्पणी में समावेशित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (22) सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वाद में किसी भी प्रकार का निर्णय होने के पश्चात त्वरित ढंग से प्रशासकीय विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाय कि मा0 न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया जाना है अथवा उसे समुचित आधारों पर पुनर्विलोकन अथवा अपील अथवा विशेष अनुज्ञा याचिका के माध्यम से चुनौती दिया जाना है।
- (23) यदि किसी प्रकरण में मा0 न्यायालय के निर्णय को उच्चतर स्तर पर चुनौती दिया जाना है अथवा निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाना प्रस्तावित है तो प्रशासकीय विभाग निर्धारित समयसीमा में अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि उस प्रकरण में कोई विलम्ब हो गया है तो विलम्ब के लिये दिन-प्रतिदिन का कारण अंकित करते हुए उत्तरदायी व्यक्ति के प्रति की गयी कार्यवाही का उल्लेख करते हुए परामर्श हेतु पत्रावली न्याय विभाग को प्रस्तुत करें जिससे कि विलम्ब के पर्याप्त स्पष्टीकरण के अभाव में मा0 न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े।
- (24) न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे प्रकरण, जिनमें सरकार पक्षकार हो, और वह समान प्रकृति के हैं, के सम्बन्ध में संबंधित प्रशासकीय विभाग उक्त वादों की सूची तैयार कर इन्हें समेकित (Consolidate) कर उक्त वादों की सुनवाई किये जाने हेतु मा0 न्यायालय से अनुरोध करेंगे।
- (25) न्यायालयों में लम्बित वादों में आपवादिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अनावश्यक स्थगन न लिया जाये ताकि मुकदमों के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो।
- (26) उल्लेखनीय है कि शासकीय वादों के समयान्तर्गत प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जो शीघ्र ही क्रियाशील हो जायेगा। प्रशासकीय विभाग उक्त का प्रयोग कर, मा0 न्यायालय के समक्ष शासकीय पैरवी को और प्रभावी व सुदृढ़ करें।
5. अतः समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या- 06 /2022/423 (1)/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2022-1/2008, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
- 4- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 5- न्याय अनुभाग-1(उच्च न्यायालय)।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-11
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या

/सात-न्याय-अनु0प्रको0/2022-01/2008, दिनांक

जुलाई, 2022 का संलग्नक

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ में कार्यरत शासकीय अधिवक्ता की वादों में पैरवी हेतु मानीटरिंग का प्रारूप

विभाग का नाम : _____ (शासकीय अधिवक्ता की पैरवी का पाक्षिक विवरण) माह : _____

विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम : _____

क्रम0	शासकीय अधिवक्ता का नाम	खण्डपीठ का नाम	दाखिल किये गये प्रतिशपथ पत्र का विवरण	प्रस्तुत किये जाने वाले दिनांक	अधिवक्ता के व्यवहार की सूचना। (उत्कृष्ट/अति उत्तम/उत्तम/संतोषजनक)	विभाग द्वारा अधिवक्ता के कार्यों के मूल्यांकन	
						मा0 न्यायालय में दाखिल किये गये प्रतिशपथ पत्र/प्रत्युत्तर शपथ-पत्र का स्तर। (अति उत्तम/उत्तम/संतोषजनक/संतोषजनक भी नहीं।)	मा0 न्यायालय में बहस का स्तर। (अति उत्तम/उत्तम/संतोषजनक/संतोषजनक भी नहीं।)
1	2	3	4	5	6	7	8

अधिकारी का नाम

पद नाम

हस्ताक्षर